बिहार सरकार
राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com, website- www.scdisabilities.org

पत्रांक-सं0सं0-06 / रा0आ0नि0-01 / 2019 - 744/आ० नि० को० दिनांक-24मार्च'2020

प्रेषक,

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार,।

विषयः— **कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू किये गये लॉकडॉउन के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा घोषित सहायता पैकेज का लाभ जरूरतमंद दिव्यांगजनों को सुनिश्चित करने हेतु संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियें को निदेशित करने के सबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जनसंपर्क कोषांग, मुख्यमंत्री का कार्यालय द्वारा निर्गत प्रेस विज्ञप्ति संख्या Cm-120,दिनांक–23.03.2020 के अंतर्गत कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू किये गये लॉकडॉउन के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा सहायता पैकेज की घोषणा की गई हैं। इस घोषणा में शामिल निर्णय बिंदु 1 से 4, अन्य के साथ–साथ, दिव्यांगजनों को सीधे प्रभावित करते है तथा विविध कारणवश विषम परिस्थितियों के प्रति उनके अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित (More Vulnerable) होने के कारण दिव्यागजनों के लिए विशेष कल्याणकारी है।

सहायता पैकेज के निर्णय बिंदु 1 से 4 निम्नानुसार हैं :–

1. सभी राशन कार्डधारी परिवारों को एक माह का राशन मुफ्त में दिया जायेगा।
2. सभी प्रकार के पेंशनधारियों (मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन) को अगले तीन माह की पेंशन अग्रिम तौर तत्काल दी जायेगी। यह राशि उनके खाते में सीधे अंतरित की जायेगी।
3. लॉकडाउन क्षेत्र के सभी नगर निकाय क्षेत्रों एवं प्रखंड मुख्यालय की पंचायत में अवस्थित सभी राशन कार्डधारी परिवारों को एक हजार रूपये प्रति परिवार दिया जायेगा। यह राशि डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खाते में अंतरित की जायेगी।
4. वर्ग 1 से 12 के सभी छात्र/छात्राओं को देय छात्रवृति 31 मार्च 2020 तक उनके खाते में दे दी जायेगी।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 80 के अन्तर्गत वर्णित राज्य आयुक्त (दिव्यांगजनों के लिए) के कृत्यों में अन्य के साथ–साथ ''दिव्यांगजनों से संबंधित सुरक्षापायों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपाय किया जाना'' शामिल हैं। साथ ही अधिनियम की धारा 24 (सामाजिक सुरक्षा) की कंडिका 3 (ग) में दिव्यांगजनों के संबंध में ''प्राकृतिक या मानवनिर्मित आपदा के दौरान सहायता'' संबंधी उपबंध शामिल हैं।

पूर्वोक्त के आलोक में निम्न कार्यान्वयन बिदुओं का अनुपालन अपेक्षित है :–

1. मुख्यमंत्री महोदय, बिहार द्वारा घोषित उक्त सहायता पैकेज का लाभ दिव्यांगजनों को प्राप्त होने की सुनिश्चिता से संबंधित सभी आवश्यक उपाय।
2. सरकार द्वारा पूर्व से ही दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों, जो इस गंभीर स्थिति हेतु विशेष प्रभावोत्पादक है, का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाना।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि अधिनियम, 2016 के सम्यक अनुपालन के क्रम में राज्य आयुक्त निःशक्तता की पहल पर राज्य के सभी जिलों में जिलास्तर के साथ–साथ जिलों के विविध पंचायतो, प्रखंडों एवं अनुमंडलों के स्तर पर दिव्यांगजन समूह बनाए जाने का कार्य किया जा चुका हैं। ये दिव्यांगजन समूह दिव्यांगजनों को उनके अधिकार व सुरक्षापायों की प्राप्ति हेतु जागरूक व सजग बनाने में सहायक व उत्प्रेरक हैं। इस गंभीर स्थितियों इन विविधस्तरीय दिव्यांगजन समूहों के प्रमुख सार्थक भूमिका का निर्वहण कर सकते है व यथा आवश्यकता व स्वनिर्णय अनुरूप इनकी सहायता प्राप्त की जा सकती हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य में दिव्यांगजनों की कुल आबादी अनुमानतः पचास लाख के करीब (कुल– 21 कोटि के दिव्यांगजन) है। इतनी बडी आबादी जो सामान्यतः आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक पिछेडेपन के कारण कोरोना वायरस से उत्पन्न संक्रमण की इस गंभीर स्थिति में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित हो सकती हैं, को संक्रमण से बचाने के लिए उन्हें एवं उनके परिवारजनों को विशेष रूप से जागरूक किये जाने की आवश्यकता है। विशेषकर गंभीर दिव्यांगता ग्रस्त, मानसिक मंदता, बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म, सेरेबल पॉल्सी, बधिर, अंधता एवं बहुदिव्यांग (विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांगजन) के अभिभावकों के प्रति विशेष रूप से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता हैं। इस कार्य में जिलों के असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की प्रमुख भुमिका हैं।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यान्वयन बिदुओं के अनुपालन हेतु संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाए ताकि कोरोना वायरस से उत्पन्न संक्रमण की इस गंभीर स्थिति में दिव्यागजनों को, जो विषम परिस्थितियों में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित (More Vulnerable) होते है, राज्य सरकार की नीति अनुरूप अपेक्षित सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सकें।

विश्वासभाजन

24.03.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

पत्रांक-सं0सं0-06 / रा0आ0नि0-01 / 2019 - 744/आ० नि० को०

दिनांक 24 मार्च 2020

प्रतिलिपिः– सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि सभी संबंधित पदाधिकारियों को उक्त के अनुपालन हेतु अपने स्तर से निदेशित करने की कृपा की जाए।

24.03.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता
बिहार,पटना।

Manish Kr (SCD)/General letter/Pg-15

पत्रांक-सं0स0-06 / रा0आ0नि0-01 / 2019 - 744/आ0नि0को0 दिनांक- 24 मार्च'2020

प्रतिलिपिः– सभी सहायक निदेशक, जिला समाजिक सुरक्षा–सह–दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग को सूचनार्थ एवं पत्र में वर्णित कार्यान्वयन बिदुओं के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.03.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता
बिहार,पटना।

पत्रांक-सं0स0-06 / रा0आ0नि0-01 / 2019 - 744/आ0नि0को0 दिनांक 24 मार्च'2020

प्रतिलिपिः– सभी असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं पत्र में वर्णित कार्यान्वयन बिदुओं के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.03.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता
बिहार,पटना।

पत्रांक-सं0स0-06 / रा0आ0नि0-01 / 2019 - 744/आ0नि0को0 दिनांक 24 मार्च'2020

प्रतिलिपि :– विविध स्तरीय दिव्यांगजन समूहों यथा जिला, अनुमंडल,प्रखंड एवं पंचायत स्तरीय दिव्यांगजन समूह के प्रमुख को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.03.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता
बिहार, पटना।

पत्रांक-सं0स0-06 / रा0आ0नि0-01 / 2019 - 744/आ0नि0को0 दिनांक- 24 मार्च'2020

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

24.03.20

राज्य आयुक्त निःशक्तता
बिहार,पटना।